



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2601]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 2016/कार्तिक 9, 1938

No. 2601]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2016/KARTIKA 9, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3352(अ).—यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए दिनांक 13 मई, 1978 के भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का. आ. सं. 1420 के आदेश का अधिक्रमण करने तथा निर्यात से पहले फलों एवं सब्जियों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण के अध्यक्षीन करने हेतु प्रस्ताव जैसाकि निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियमावली, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथाअपेक्षित, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसके द्वारा संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 28 जून, 2016 के भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के का. आ. सं. 2296 (अ) के आदेश के तहत दिनांक 4 जुलाई, 2016 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था ;

और यतः उपर्युक्त राजपत्र की प्रतिलिपियों को दिनांक 4 जुलाई, 2016 को आम जनता के लिए उपलब्ध किया गया था;

और चूँकि उपर्युक्त अवधि के भीतर आम जनता से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अब इसलिए, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे यहाँ अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के बाद केंद्रीय सरकार का अभिमत है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक एवं लाभदायक है तथा दिनांक 13 मई, 1978 के भारत के राजपत्र भाग – II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं. 1420 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे अधिक्रमण के पहले किये गए अथवा नहीं किये गए कार्य के संदर्भ में, एतद्द्वारा, -

- (क) अधिसूचित करती है कि विनिर्दिष्ट फल एवं सब्जी उत्पाद सिर्फ उन मामलों में निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के अध्यक्षीन होंगे जहां आयातक देश ऐसे निर्यात प्रमाणपत्र की मांग करते हैं ;
- (ख) उन गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के किस्मों को विनिर्दिष्ट करती है जिसे फल एवं सब्जी उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियमावली, 2016 के अनुसरण में निर्यात से पहले ऐसे फल उत्पादों पर लागू किया जाएगा;
- (ग) अभिज्ञात करती है-
- (i) बशर्ते कि क्रेता एवं विक्रेता के बीच सहमत यह विनिर्देश आयातक देश के कानूनों के अनुरूप हों और ऐसे विनिर्देश उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित हों; तथा
- (ii) खण्ड (i) में उल्लिखित विनिर्देशों के न होने पर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) में निर्धारित विनिर्देश और उसके तहत बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियम एवं विनियम, लागू होंगे;
- (घ) उपरोक्त फल एवं सब्जी उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे निर्यात पर तब तक प्रतिबंध लगाता है जब तक कि निर्यात के लिए अपेक्षित फल एवं सब्जी उत्पाद की प्रत्येक खेप के साथ आयातक देश द्वारा अपेक्षित इस आशय का निर्यात प्रमाणपत्र पैरा (ग) के खण्ड (i) में उल्लिखित एजेंसी द्वारा जारी निर्यात पात्रता प्रमाणपत्र संलग्न न हो ।
2. इस आदेश में संभावित क्रेता को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से प्रेषित फल एवं सब्जी उत्पादों के नमूनों के निर्यात के संबंध में कुछ भी लागू नहीं होगा बशर्ते ऐसे नमूनों का फ्रेट आन बोर्ड मूल्य दस हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।
3. इस आदेश में "फल एवं सब्जी उत्पाद" का तात्पर्य :-

- (i) कृत्रिम पेय पदार्थ, सिरप, और शर्बत;
- (ii) सिरका, आसवित या कृत्रिम;
- (iii) अचार;
- (iv) निर्जलीकृत फल एवं सब्जियां ;
- (v) स्कवाश, क्रशेस, पुष्टिकारक, जौ का पानी, बैरल में रखा गया रस एवं परोसने हेतु तैयार पेय पदार्थ, फल का शरबत अथवा फल रस या फल गूदा वाला कोई अन्य पेय पदार्थ;
- (vi) जैम, जेली एवं मारमलेड;
- (vii) टमाटर के उत्पाद, केचअप एवं सॉस
- (viii) परिरक्षित जमाया हुआ तथा क्रिस्टलीकृत फल एवं छिलके;
- (ix) चटनी;
- (x) डिब्बाबंद एवं बोतलबंद फल, जूस एवं गूदा;
- (xi) डिब्बाबंद एवं बोतलबंद सब्जियां ;
- (xii) प्रशीतित फल एवं सब्जियां ;
- (xiii) फल जूस एवं गूदा वाले सोडा वाटर;

(xiv) फल अनाज, गुच्छे; तथा

(xv) फल अथवा सब्जियों से संबंधित कोई अन्य अविनिर्दिष्ट वस्तु ।

4. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

[फा. सं. 2/85/2015-निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 3352(E).—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposal for superseding the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 1420, dated the 13th May, 1978 and for subjecting fruit and vegetable products to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th July, 2016 under order of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O. 2296(E), dated the 28th June, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the order in the official Gazette;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th July, 2016;

And whereas no objections and suggestions were received from the public within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), (herein referred to as the said Act), the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India and in supersession of the order number S.O. 1420, dated the 13th May, 1978 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, hereby,—

1. (a) notifies that fruit and vegetable products shall be subject to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such an export certification;
 - (b) specifies that the type of quality control or inspection or both in respect of such fruit and vegetable products shall be in accordance with the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules, 2016;
 - (c) recognises-
 - (i) the specifications agreed to between the buyer and the seller provided these conform to the laws of the importing country and such specifications are duly approved by the agency recognised by the Central Government under section 7 of the said Act ; and
 - (ii) in the absence of the specification referred to in clause (i), the specification prescribed in the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and rules and regulations made thereunder as amended from time to time;
 - (d) prohibits the export in the course of international trade of the said fruit and vegetable products unless each and every consignment of such fruit and vegetable product meant for export and requiring export certification by the importing country is accompanied by a certificate of export worthiness issued by the agency referred to in clause (i) of sub-paragraph (c).
2. Nothing in this Order shall apply to export of samples of fruit and vegetable products to the prospective buyers by land, sea or air provided the value of such samples does not exceed in freight on board value of rupees ten thousand.
 3. In this order 'fruit and vegetable product' means -
 - (i) synthetic beverages, syrups and sherbats;
 - (ii) vinegar, whether brewed or synthetic;

- (iii) pickles;
 - (iv) dehydrated fruits and vegetables;
 - (v) squashes, crushes, cordial, barley water, barrelled juice and ready-to-serve beverage, fruit nectar or any other beverages containing fruit juices or fruit pulp;
 - (vi) jams, jellies and marmalades; .
 - (vii) tomato products, ketchup and sauce;
 - (viii) preserved, candied and crystallised fruits and peels;
 - (ix) chutneys;
 - (x) canned and bottled fruits, juices and pulp;
 - (xi) canned and bottled vegetable;
 - (xii) frozen fruits and vegetables;
 - (xiii) aerated waters containing fruit juice and pulp;
 - (xiv) fruits cereal, flakes; and
 - (xv) Any such other items relating to fruits or vegetables.
4. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/85/2015-Exp. Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3353(अ).—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फल उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1978 के अधिक्रमण में ऐसे अतिक्रमण, से पूर्व की गई कार्रवाई और हटाई गई कार्रवाई को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को फल उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) से होगा।

(ख) “एजेन्सी” का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेन्सी से होगा;

(ग) “परिषद” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद से होगा।

(घ) “प्रतिष्ठान” का तात्पर्य कोई भी परिसर अथवा इकाई जहाँ फल उत्पादों को तैयार, प्रसंस्कृत, परिरक्षण, पैकेज या संग्रहित किया जाता है;

(ड.) “फल उत्पाद” का तात्पर्य है:-

(i) कृत्रिम पेय पदार्थ, सिरप, और शर्बत;

(ii) सिरका, आसवित या कृत्रिम;